भागलपुर समाहरणालय
(जिला विकास शाखा)

पत्रांक 19–01/2022 21 (पु०) /वि० भागलपुर दिनांक 23-03-23

प्रेषक ,

जिलाधिकारी,
भागलपुर।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A No. 769/2022/PB in Shankar Dayal Mishra V/S State of Bihar के मामले में दिनांक 04.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः– सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का पत्रांक P/Legal/01/2022-70 दिनांक दिनांक 11.01.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A No. 769/2022/PB in Shankar Dayal Mishra V/S State of Bihar के मामले में दिनांक 04.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में दिनांक 09.02.2023 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा नामित सदस्यों एवं अनुमंडल दंडाधिकारी, कहलगाँव द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का पत्रांक 309 दिनांक दिनांक 23.02.2023 के द्वारा कार्यपालक निदेशक, एन0टी0पी0सी0 कहलगाँव को Section 31A of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 के तहत अनुपालन हेतु अपेक्षित निदेश दिये गये है। अधोहस्ताक्षरी के स्तर से भी उन्हें वांछित कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नकः– यथोपरि।

विश्वासभाजन

20/03/23

जिलाधिकारी,
भागलपुर।

E-mail- development-bgp-bih@nic.in
dist.dev.bgp@gmail.com

भागलपुर समाहरणालय
(जिला विकास शाखा)

पत्रांक / वि0 भागलपुर दिनांक

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला विकास शाखा,
भागलपुर।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
कहलगाँव।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A.No- 769/2022/PB in Shankar Dayal Mishra V/S State of Bihar के मामले में दिनांक–04.01.2023 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– **सदस्य सचिव, बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का पत्रांक–70 दिनांक–11.01.2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा दिनांक–06.02.2023 को निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित की गई है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिलाधिकारी भागलपुर को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। उक्त के आलोक में जिला विकास शाखा के संचिका सं0–xix-01/18-22 Part-III के टि0/पृ0 सं0–08 पर भवदीय को नामित किया गया है।

अतः वर्णित पत्र एवं संचिकादेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि जाँच दल (श्री एस0पी0राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बरौनी मो0 नं0–7485808254; श्री एस0एन0 जयसवाल, वैज्ञानिक सलाहकार मो0 नं0–9431425750 एवं श्री शम्भू नाथ झा, क्षेत्रिय पदाधिकारी, भागलपुर मो0–9931448223) से समन्वय स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विकास शाखा
भागलपुर।

ज्ञापांकः– 134 /विकास दिनांक 01-02-23

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण, नियंत्रण पर्षद् बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– श्री एस0पी0राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बरौनी/श्री एस0एन0 जयसवाल, वैज्ञानिक सलाहकार/श्री शम्भू नाथ झा, क्षेत्रिय पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

1/2/23

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विकास शाखा
भागलपुर।

ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी.–2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0– सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना–800010
ई–मेल– msbspcb-bih@gov.in बेवसाईट– http://bspcb.bihar.gov.in

पत्रांकः P/Legal01- /2022 पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस. चन्द्रशेखर, भा.व.से.
सदस्य–सचिव।

Most Urgent
Hon'ble NGT
matter.

सेवा में,

जिलाधिकारी
भागलपुर।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A. No.-769/2022/PB in Shankar Dayal Mishra V/S State of Bihar के मामले में दिनांक 04.01.2023 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः पर्षद् पत्रांकः 70, दिनांकः 11.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा NTPC भागलपुर द्वारा कहलगांव जिले में फ्लाई ऐश से हो रहे वायु प्रदूषण की तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए गठित संयुक्त समिति का स्थल निरीक्षण जो दिनांक 06.02.2023 को किया जाना सुनिश्चित था उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए **दिनांक 09.02.2023** को किया जायेगा।

ज्ञातव्य है कि उक्त स्थल का निरीक्षण करने हेतु पर्षद् द्वारा श्री एस0 पी0 राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बरौनी (मो0 नं0– 7485808254), श्री एस0 एन0 जयसवाल, वैज्ञानिक सलाहकार (मो0 नं0– 9431425750) एवं श्री शंभु नाथ झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, भागलपुर (मो0 नं0– 9931448223) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, को नामित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले में उक्त तिथि को स्थल निरीक्षण करने हेतु अपने स्तर से किसी पदाधिकारी को नामित करने की कार्रवाई किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः 96 पटना, दिनांकः 18-01-23

प्रतिलिपिः श्री एस0 पी0 राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बरौनी, श्री एस0 एन0 जयसवाल, वैज्ञानिक सलाहकार एवं श्री शंभु नाथ झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, भागलपुर को निर्देश दिया जाता है कि विषयांकित मामले में उक्त तिथि को स्थल निरीक्षण करने हेतु जिलाधिकारी, भागलपुर से समन्वय स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

18/1/23
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

Scanned by CamScanner

Mail
03.02.23

भागलपुर समाहरणालय
(जिला विकास शाखा)

ज्ञापांकः– 136 /वि0 भागलपुर, दिनांक 03-02-23

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव को इस कार्यालय के पत्रांक 134 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री एस0पी0 राय क्षेत्रीय पदाधिकारी बरौनी(मो0– 7485808254), श्री एस0 एन0 जयसवाल वैज्ञानिक सलाहकार (मो0 9431425750) एवं श्री शंभु नाथ झा क्षेत्रीय पदाधिकारी, भागलपुर (मो0 9931448223) बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद को इस कार्यालय के ज्ञापांक 134 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में अनुरोध है कि अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव(मो0 9473191380) से समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की सेवा में सादर सूचनार्थ ।

2/2/23
वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला विकास शाखा, भागलपुर।
02/02/23

ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी.–2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0– सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना–800010
ई–मेल– msbspcb-bih@gov.in वेबसाईट– http://bspcb.bihar.gov.in

पत्रांकः P/Legal01- /2022 पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस. चन्द्रशेखर, भा.व.से.
सदस्य–सचिव।

सेवा में,

जिलाधिकारी
भागलपुर।

Most Urgent
Hon'ble NGT
matter.

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A. No.-769/2022/PB in Shankar Dayal Mishra V/S State of Bihar के मामले में दिनांक 04.01.2023 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा याचिकाकर्ता श्री शंकर दयाल मिश्रा, कहलगांव, भागलपुर से प्राप्त शिकायत पत्र को मूल आवेदन के रूप में पंजीकृत किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि NTPC भागलपुर द्वारा 2310 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। उक्त फ्लाई ऐश को भागलपुर जिले के कहलगांव के निकट महेश मुंडा गाँव के रिहायशी इलाके के निकट विशाल ऐश डाइक में संग्रहित किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप हवा के हल्के झोंके से आस–पास के गाँव में धूल फैलता है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा **दिनांक 04.01.2023** को विषयांकित मामले की सुनवाई के दौरान तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, यथाः–

1. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
2. जिलाधिकारी, भागलपुर

ज्ञातव्य है कि विषयांकित मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा **जिलाधिकारी भागलपुर को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल पदाधिकारी** बनाया गया है।

माननीय अधिकरण द्वारा समिति को निर्देश दिया गया है कि विषयांकित मामले में **स्थल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति** का पता लगाते हुए एक कार्य योजना से संबंधित रिपोर्ट **2 माह** के अंदर NGT के Judicial E-mail पर दाखिल किया जाय। पर्षद् द्वारा संबंधित स्थल का निरीक्षण करने हेतु **दिनांक 06.02.2023** को तिथि निर्धारित की गई है। उक्त स्थल का निरीक्षण करने हेतु पर्षद् द्वारा

Scanned by CamScanner

श्री एस0 पी0 राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बरौनी (मो0 नं0– 7485808254), श्री एस0 एन0 जयसवाल, वैज्ञानिक सलाहकार (मो0 नं0– 9431425750) एवं श्री शंभु नाथ झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, भागलपुर (मो0 नं0– 9931448223) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, को नामित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले में उक्त तिथि को स्थल निरीक्षण करने हेतु अपने स्तर से किसी पदाधिकारी को नामित करने की कार्रवाई किया जाय। आदेश की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथो0।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः 70

पटना, दिनांकः 11-01-23

प्रतिलिपिः श्री एस0 पी0 राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बरौनी, श्री एस0 एन0 जयसवाल, वैज्ञानिक सलाहकार एवं श्री शंभु नाथ झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, भागलपुर को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विषयांकित मामले में उक्त तिथि को स्थल निरीक्षण करने हेतु जिलाधिकारी, भागलपुर से समन्वय स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नकः यथो0।

विश्वासभाजन
11/1/23
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

Inspection report of M/s Kahalgaon **Super Thermal Power Plant,** NTPC Limited, Kahalgaon, Dist-Bhagalpur.

A. Background:

1. The unit was inspected on 09.02.2023 by the Joint Committee comprising of Sri C. Madhukant, Sub-Divisional Officer, Kahalgaon as representative of District Magistrate, Bhagalpur; Sri S.N. Jha, Regional Officer, Bhagalpur, BSPCB; Sri S.P. Roy, Regional Officer, Barauni, BSPCB and Sri S.N. Jayaswal, Scientific Advisor, BSPCB, HQ, Patna in compliance with the order of the Hon'ble NGT dated-04.01.2023 in O.A. No. 769/2022 in the matter of Shankar Dayal Mishra Vs State of Bihar for verification of facts & relevant information to submit the report to the Hon'ble Tribunal.

   Sri N.P. Shahar, GM (O&M); Sri Rajesh Gupta, GM (ADM); Sri Faizur Rahman, AGM (EMG); Sri Maninath Prasad, DGM (P&S); Sri Manish Kumar, Sr. Manager (AUD); Sri Manish Pandey, Sr. Manager (EMG); and other officials of NTPC, Kahalgaon were present during the inspection.

2. The Hon'ble NGT has registered a complaint case (O.A. No. 769/2022) pursuant to a letter petition dated-03.05.2021 received from Shankar Dayal Mishra, resident of village Maheshamunda, Tahsil-Kahalgaon, Dist-Bhagalpur, State of Bihar with allegation that due to discharge of lacs of tones of fly ash per day from coal based NTPC TPP, huge air pollution is being caused.

   The Ho'nble NGT in its order dated-04.01.2023 in the aforesaid matter has stated that fly ash is stored in a huge ash dyke located just 300 meters distance from residential area of village Maheshamunda, Tahsil-Kahalgaon, Dist-Bhagalpur in State of Bihar. Sometimes, height of ash heap reaches to 20 meters. As a result, thereof with little blow of air cloud of fly ash is created within 4-5 Kilometers surrounding area covering various villages like Nagdane, Chayatola, Katoria, Ekchari, Ogri etc. NTPC is also transporting fly ash with help of several poklen and JCBs by uncovered trucks and spread dust throughout the way damaging environment and causing health hazards to the resident to nearby areas.

3. In view of the above, the Hon'ble NGT has constituted a Joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Bhagalpur to visit the site and collect relevant information and submit factual report and also action taken, if any, report to the Hon'ble Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The District Magistrate, Bhagalpur will be the nodal agency for co-ordination and compliance.

Kahalgaon Super Thermal Power Plant, NTPC Limited, Bhagalpur is a coal based Thermal Power Plant (TPP) of 2340 MW electricity generation capacity (Stage-I, 4x210=840 MW, Stage-II, 3x500=1500 MW). The plant site is 3-4 Km south-east of Kahalgaon and about 32 Km east of Bhagalpur city and is approachable from the NH-80 and railway line. Total land area covered by KhSTPP is 3360 acres.

5. The coal requirement as fuel and ash generation in the unit are hereunder:-

Electricity Generation	Coal Requirement (Tones/day)	Ash Generation (Tones/day)	Remarks
On installed Capacity (2340 MW)	45000	18000	➢ Coal requirement@ 0.80 Kg/Kwh. ➢ Ash content in coal: 40%
On average operation (80% of installed capacity as per demand)	36000	14400	

6. The unit is having wet ash management system and dry fly ash management system.

In wet ash management system, unit has a total of 5 nos. of lagoons/ ash dykes namely IIA, IIB, IIIAB, IIIC, IIID and an Over Flow Lagoon (OFL) with Ash Water Re-circulation System (AWRS) for ensuring reuse of water in ash slurry preparation as well as for dust suppression in the dry area of ash dyke. The total land area covered under ash dykes is approximately 1400 acres.

In dry ash management system, the unit has installed silos for collection of dry fly ash as hereunder:-

Stage	Units	Capacity	Total capacity
Stage-I	1 & 2	350 m^3 each	700 m^3
Stage-II	5, 6 & 7	1000 m^3 each	3000 m^3
Present Installed & operational capacity of silos			**3700 m^3**
State-I	3 & 4	750 m^3 each	*1500 m^3 (Under Construction)
	Additional	1000 m^3	*1000 m^3 (Under Construction)

Presently, the unit is having operational silos of total 3700 m^3 capacity for dry ash collection from units 1 & 2 of Stage-I and from units 5, 6 & 7 of

774)

Stage-II. The silos for units 3 & 4 of Stage-I are under construction and likely to put into operation very shortly as reported. In addition to the above, unit has plan for augmentation/expansion of dry ash collection system by installing one additional silo of 1000 m^3 capacity.

7. The unit has Electro Static Precipitator (ESP) attached with all boilers for control of particulate matter emission as air pollution control devices (APCDs).

8. The unit is using Ganga water for industrial & domestic purposes. The unit has liquid waste treatment plant/oil water separator, settling tank at coal handling plants and ETP for maintaining ZLD with provision of sluice gate at Ekchari Nala. Cooling water is kept in closed circuit through open approach channel with cooling towers. The unit has STP of 3050 m^3 capacity for treatment of domestic waste water.

9. Bihar State Pollution Control Board has granted Consent-to-Operate (CTOs) vide ref. no. B-3798, dated-12.07.2019 (Discharge consent) and B-3799, dated-12.07.2019 (Emission consent) for operation of KhSTPP (2340 MW) electricity generation for the period from 01.04.2019 to 31.03.2024 with the conditions mentioned therein.

B. Observations:

a) KhSTPP was operational during the inspection.

b) The unit is having wet ash management system and dry fly ash management system.

c) In wet ash management system, unit has a total of 5 nos. of lagoons namely IIA, IIB, IIIAB, IIIC, IIID and an Over Flow Lagoon (OFL) with Ash Water Re-circulation System (AWRS) for ensuring reuse of water in ash slurry preparation as well as for dust suppression in the dry area of ash dyke.

d) In dry ash management system, presently, the unit is having operational silos of total 3700 m^3 capacity for dry ash collection from units 1 & 2 of Stage-I and from units 5, 6 & 7 of Stage-II. The silos for units 3 & 4 of Stage-I are under construction and likely to put into operation very shortly as reported. In addition to the above, unit has plan for argumentation/expansion of dry ash collection system by installing one silo of 1000 m^3 capacity.

e) At present, ash slurry was being discharged/disposed into ash dyke no. IIA, IIB & IIIC during the inspection.

f) Ash from the ash dykes no. IIIAB and IIID was under lifting/excavation with the help of several Poclain & JCBs and for its transportation by trucks with cover for its utilization in road construction by NHAI. The lifting and transportation of ash from IIID has been started few days back.

g) The height of the ash dykes (IIA, IIB, IIIC, IIIAB) is approximately 20 meter from the nearby ground level. The height of the ash dyke (IIID) is approximately 10 meter from the nearby ground level.

h) The Majdaha village is located at the distance of approximately 150 meter in east direction from ash dyke no. IIID. The Maheshamunda and Ogri villages are located at the distance of more than 1 Km. in north-east direction from ash dyke no. IIA & IIB. The village Ekachari is located at distance of 300 meter in south-west direction from ash dyke no. IIIAB.

i) The water was discharged and sprinkled on surface of ash dyke no. IIID to avoid fugitive emission through 07 MS pipelines and water sprinklers. The khas grass plantation on ash dyke no. IIID has been done but it has to be maintained properly for its survival.

j) Lush green agricultural field was found around the ash dykes.

k) There was high fugitive emission at ash dyke no. IIIAB due to lifting/excavation of ash with the help of Poclain and JCBs and movement of vehicles carrying ash.

l) There was no any static/permanent water sprinkler in around ash dykes arrangement for dust suppression/control of fugitive emission. The unit uses mobile water tankers for sprinkling of water on peripheral roads. In spite of the above arrangements, there was no proper control of fugitive emission around the ash dyke no. IIIAB

m) The vehicles carrying ash, passing through nearby Ekachari and was also causing air pollution in nearby area in addition to the ash lifting activities from ash dyke no. IIIAB.

C. Conclusion:-

a) KhSTPP is having ash dykes for collection of ash slurry. The height of the ash dykes (IIA, IIB, IIIC, IIIAB) is approximately 20 meter from the nearby ground level. The height of the ash dyke (IIID) is approximately 10 meter from the nearby ground level.

b) The villages Majdaha and Ekachari are located nearby ash dykes approximately at the distance of 300 meter whereas villages

Maheshamunda and Ogri are located at the distance of more than 1 Km. from ash dyke.

a) In spite of the uses of mobile tankers, there was air pollution due to lifting, loading and transportation of ash from ash dyke no. IIIAB.

b) The unit has operational silos of 3700 m^3 capacity for collection of dry fly ash in order to channelize to cement industries.

D. Recommendations:

1. The unit shall ensure that excavation, loading, unloading and storage of ash are done in environmentally sound manner with all precautions to prevent air pollution such as regular water sprinkling and transportation of ash in covered vehicles and shall submit the status in the prescribed format as per MoEF&CC, Govt. of India notification no. 5181(E), dated-31.12.2021.
2. The unit shall procure/outsource and use anti smog gun/truck mounted mist cannon for control of fugitive emission/air pollution due to excavation, loading of ash from ash dykes.
3. The unit shall regularly discharge/sprinkle water on the surface of ash dyke on the other end of lifting/excavation point to avoid fugitive emission/ air pollution.
4. The unit shall provide water jacketing sprinkling facility all around the ash dyke for control of fugitive dust emission.
5. The unit shall construct 100% Water Bound Macadam (WBM) road around all lagoons/ash dykes.
6. The unit shall construct Pavement Quality Concrete (PQC) road from Ekachari end to Nariya Nala Bridge and AWRS pump house to Majdaha village for movement of heavy vehicles.
7. The unit shall ensure lifting of ash from 4th raising and then 3th raising in lagoon IIIAB and IIIC to meet the demand of ash to NHAI road projects.
8. The unit shall install adequate no. of CCTV Camera at different locations of ash dyke to monitor the activities involve in ash lifting and transportation with cover vehicles.
9. The unit shall ensure installation of adequate no. of lighting mast in around ash dyke area.

10. The unit shall expand its dry ash collection system by installing dedicated more silos for storage of dry fly ash for at least 16 hours of ash based on installed capacity.

11. The unit shall submit future plan on ash utilization in consistent with MoEF&CC, Govt. of India notification.

12. The unit shall ensure regular inspection by dedicated supervisor on use of water sprinkling system for dust suppression/control of fugitive emission.

13. The unit shall submit time bound action plan for compliance of the aforesaid recommendations.

14. Direction may be issued under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to ensure the compliances of the aforesaid recommendations.

20-2-23

(S.N. Jha)
Regional Officer, Bhagalpur,
Bihar SPCB.

(S.P. Roy)
Regional Officer, Barauni,
Bihar SPCB.

24/2/2023

(S.N. Jayaswal)
Scientific Advisor,
Bihar SPCB, Patna.

(Dr. Madhukant)
Sub-Divisional Officer,
Kahalgaon, Bhagalpur.

R-T-75(90)
22-02-23

बिहार सरकार

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(जलवायु परिवर्तन संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना–800014
ई–मेल : pccf.climatechange@gmail.com/ccfcc.bih@gmail.com

जिलाधिकारी, भागलपुर
समाहरणालय गोपनीय शाखा
प्राप्ति की तिथि.... 15.2.23
CR No. 4301
प्रेषित विभाग. विकास
जिलाधिकारी

पत्रांक : पर्या०/जल०/परि० (वि०) –16/2019 (खंड–1) –116

प्रेषक,

एन० जवाहर बाबू, भा०व०से०
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार, पटना।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विकास शाखा
भागलपुर

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार।
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–14, दिनांक–14/02/2023

विषयः– **एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों एवं किसी प्रकार के गैर–विघटनीय उत्पादों सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंधित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–वन/पर्या०(1)11/99–278 (ई०), दिनांक–06.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मुख्य सचिव महोदय एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कि ओर से प्लास्टिक उत्पादों तथा वैसी सामग्रियों जो एकल उपयोग के बाद त्याग दी जाती है, उन सामग्रियों का उपयोग यथासंभव कम–से–कम करने के संबंध में निर्देश/Advisory निर्गत है। आप सभी अवगत हैं कि बिहार सरकार के द्वारा एवं भारत सरकार के द्वारा भी 01 जुलाई, 2022 से कतिपय एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण/उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए उक्त प्रतिबंध को शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी सरकारी विभागों एवं महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों से पुनः अनुरोध किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का शत्–प्रतिशत अनुपालन अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
14.2.2023
(एन० जवाहर बाबू)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि,
बिहार, पटना।

D:Sanoj/folder/- 218 -

Mail 16
03.03.2023

भागलपुर समाहरणालय
(जिला विकास शाखा)

ज्ञापांकः– 219 /वि0 भागलपुर, दिनांक 3-3-23

प्रतिलिपिः– सभी कार्यालय प्रधान, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला विकास शाखा, भागलपुर।

पत्रांक– वन / पर्या0(1) 11 / 99 2786 / प0व0ज0प0
बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, बिहार।
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 06 अप्रैल, 2022

विषयः एकल उपयोग के प्लास्टिक उत्पादों एवं किसी प्रकार के गैर–विघटनीय उत्पादों का उपयोग सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंधित करने के संबंध में।

प्रसंग: (i) मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–पर्या0 / वन (विविध)–12 / 10, 37 (ई0) / प0व0, दिनांक–19.01.2015
(ii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार का पत्रांक–वन / पर्या0(1)–11 / 1999; 164 (ई0) / प0व0, दिनांक–08.02.2019
(iii) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार का पत्रांक–वन / पर्या0(1)–11 / 1999, 664 (ई0) / प0व0ज0प0, दिनांक–04.06.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के द्वारा समय–समय पर तत्कालीन मुख्य सचिव एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्लास्टिक उत्पादों तथा वैसी सामग्रियों जो एकल उपयोग के बाद त्याग दी जाती है, उन सामग्रियों का उपयोग यथासंभव कम से कम करने के संबंध में तथा PET बोतलों को विभागीय बैठकों में पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करने के संबंध में निर्देश / Advisory भेजे गये हैं। आप सभी अवगत हैं कि बिहार सरकार के द्वारा एवं भारत सरकार के द्वारा भी 01 जुलाई, 2022 से कतिपय एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण / उपयोग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आवश्यक है कि सरकारी विभाग एवं महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में इसका उपयोग पूर्व से ही प्रतिबंधित कर दिया जाये, ताकि वे आम लोगों के लिए एक आदर्श की भूमिका निभा सकें। पूर्व में दिये गये निर्देशों की प्रति संलग्न की जा रही है। साथ ही निम्नांकित बिन्दुओं का शत–प्रतिशत अनुपालन अपने कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कराना कृपया सुनिश्चित करेंगे:–

1. किसी भी कार्यालय में एवं विशेष तौर पर बैठकों में PET बोतलों का इस्तेमाल नहीं किया जाये, बल्कि इसके स्थान पर फलारक / शीशा / स्टील के गिलास का उपयोग किया जाये। सभी कार्यालयों में वाटर प्यूरिफायर भी लगाये जायें ताकि कर्मियों / आगंतुकों को स्वच्छ पीने का जल मिल सके।

[illegible] में प्लास्टिक का अत्यधिक इस्तेमाल होता है, अच्छा यह होगा कि गुलदस्ते के स्थान पर केवल एक फूल देकर सम्मान प्रदर्शित किया जाय। किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से प्लास्टिक झिल्ली में लिपटे हुये गुलदस्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाये।

6. अधिकांश कार्यालयों में बैठकों में उपयोग की सामग्रियाँ प्लास्टिक के transparent फोल्डर में रखकर दी जाती है, जिसे आमतौर पर L folder कहा जाता है। इसके स्थान पर कागज के बने हुए फोल्डर का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाय एवं यदि बैग देना हो तो जूट/कपड़े के बने हुए बैग का इस्तेमाल किया जाय। प्लास्टिक के transparent L folder का इस्तेमाल बैठकों में कागजात रखने/वितरित करने हेतु कतई न किया जाये।

7. सभी सरकारी कार्यालयों में कूड़े के निपटान के पूर्व उनका पृथकीकरण सुनिश्चित किया जाय, ताकि उनकी Re-cycling हो सके।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन तत्कालिक प्रभाव से शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि जो समाग्रियाँ 1 जुलाई से प्रतिबंधित होने जा रही हैं, उनका क्रय अभी से कार्यालयों में नहीं किया जाये।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी) 6.4.22
मुख्य सचिव।